भारतीय न्याय संहिता 2023

उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 एवं 12 के
विद्यार्थियों हेतु

अगस्त 2024
श्रावण 1946

PD 1H M

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2024

भारतीय न्याय संहिता, 2023

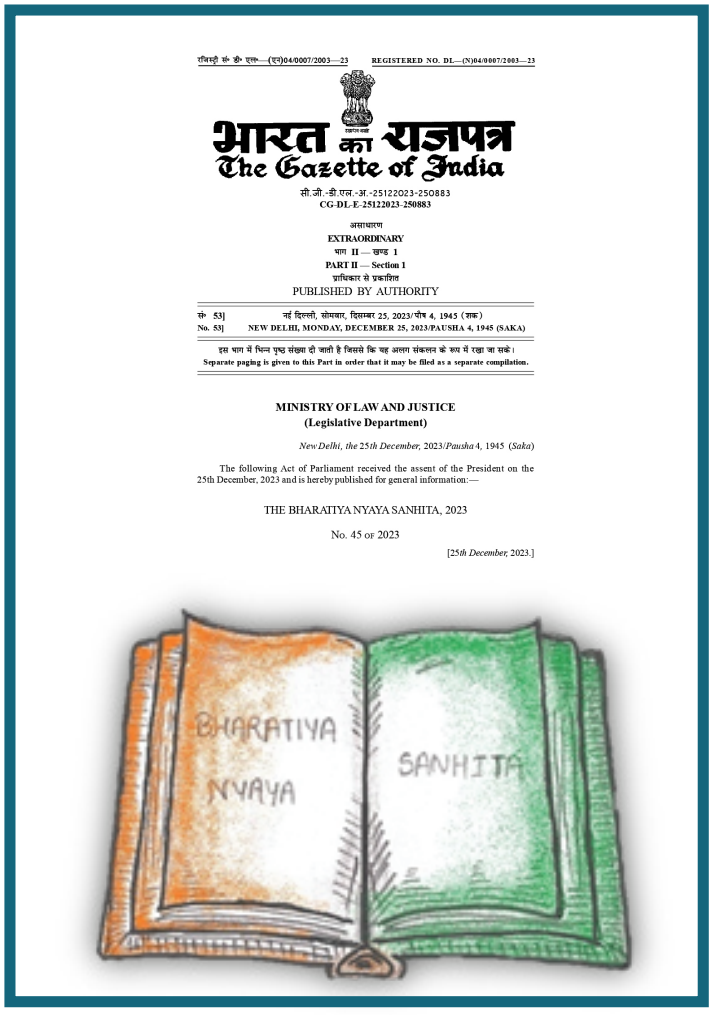

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—23 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—23

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25122023-250883
CG-DL-E-25122023-250883

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 53] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 25, 2023/पौष 4, 1945 (शक)
No. 53] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 25, 2023/PAUSHA 4, 1945 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, the 25th December, 2023/*Pausha* 4, 1945 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 25th December, 2023 and is hereby published for general information:—

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

No. 45 OF 2023

[*25th December,* 2023.]

उच्चतर माध्यमिक कक्षा 11 एवं 12 के
विद्यार्थियों हेतु

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना

"किसी भी व्यक्ति को अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वह उसके या किसी अन्य के विरुद्ध हो।"

—महात्मा ज्योतिबा फुले

उपरोक्त उद्धरण पढ़ें। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा यह वैश्वीकरण से दशकों पहले कहा गया था, जब राष्ट्रों, संस्थाओं और लोगों की अंत:संबद्धता नहीं थी। आप मानेंगे कि यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हम जब भी कोई अन्याय देखे तो जिम्मेदारीपूर्वक अपना कर्तव्य करें। अन्याय से बरतने का यह सही मार्ग नहीं कि अमुक घटना हमें प्रभावित नही कर रही, इसलिए हम इसकी चिंता न करें। न्याय के वर्चस्व के लिए न केवल हमारे कानूनों को आधुनिक परिदृश्य से सामंजस्य रखना होगा, बल्कि हम सभी को कर्तव्यों, अधिकारों और वर्तमान कानूनों से अवगत रहना होगा। इस शैक्षिक प्रपत्र (मॉडयूल) में आप नए फौजदारी कानून के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति एवं नागरिक बनने में सहायता मिलेगी। इस देश के नागरिक के रूप में कानून और न्याय व्यवस्था की समुचित जानकारी से आपको अपना कर्तव्य करने और कानून का पालन करने वाला व्यक्ति बनने में सहायता मिलेगी।

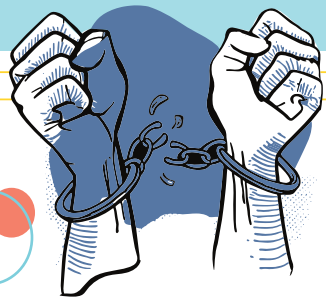

अधिगम (सीखने) का उद्देश्य

इस विषय को पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे—

- नवीनतम आपराधिक कानूनों और उसके विधिशास्त्र (न्यायशास्त्र) पर चर्चा।
- समझाना कि इसमें किस तरह से समान अवसर और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।
- पाठकों को भारतीय न्याय प्रणाली के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कानूनी मुद्दों को पहचानना और विद्यार्थियों को निवारण के मार्गों के बारे में जागरूक बनाना।
- स्वयं और अन्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में संहिता में दिए गए मानदण्डों की व्याख्या करना और मौलिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने में सम्मिलित एक जागरूक नागरिक बनना।
- विभिन्न अपराधों और उनके अनुरूप दण्ड को समझना।

भारत में आपराधिक कानूनों का विकास

भारतीय दण्ड संहिता की रचना प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा की गई थी, जिसके सदस्य नीलेओड, एंडरसन और मेलेट थे तथा लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। अंग्रेज़ी और भारतीय कानूनों और विनियमों के अलावा, उन्होंने नेपोलियन की संहिता और लिविंगस्टोन की लुइसियाना संहिता को भी संदर्भित किया। वर्ष 1850 में पूरा होने के बाद, इसे 1856 में विधान परिषद में लाया गया और अंततः 6 अक्तूबर 1860 को इसे मंजूरी दी गई। इस प्रकार, 1 जनवरी 1862 को भारतीय दण्ड संहिता लागू हुई। भारतीय दण्ड संहिता देश के आपराधिक कानून का एक संहिताकरण है। यह मौलिक विधि के रूप में अनन्य रूप से अपराधों पर केंद्रित है।

वर्ष 1882 में समान दण्ड प्रक्रिया संहिता पारित की गई। इसके बाद, वर्ष 1898 की दण्ड प्रक्रिया संहिता आई, जो वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता (दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973) के अधिनियमित होने तक प्रचलित रही। दण्ड प्रक्रिया संहिता को 25 जनवरी 1974 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई।[1]

*स्त्रोत https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html

आपराधिक कानून विधिशास्त्र

आपराधिक कानून अनिवार्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और एक सशक्त न्याय प्रणाली प्रदान करने के लिए कर्तव्य से बंधा है। भारत ने आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए, जिस प्रतिकूल सामान्य कानून प्रणाली को अपनाया है, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा दी गई थी। यह हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है कि किसी अपराध के आरोपित को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि आरोपी का अपराध सिद्ध न हो जाए। इसी तरह आरोपी को चुप रहने के अधिकार से सुरक्षा प्राप्त है और उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। निर्दोषों की रक्षा करने और दोषियों को दण्डित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली मौजूद है।

उचित निवारक और दण्डात्मक उपायों के क्रियान्वयन से निजी प्रतिशोध को रोकने का उद्देश्य भी पूरा होता है, जो समाज में शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करता है। अधिकारों का उल्लंघन होने पर दण्ड प्रदान करने वाले विधायी अधिनियम पारित किए जाते हैं। जब लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राज्य का दायित्व है कि वह उल्लंघनकारी व्यक्ति पर निष्पक्ष रूप से मुकदमा चलाए और दोषी

[1] *https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html*

पाए जाने पर उसे दण्डित करे। केवल तभी जब मौलिक दण्ड कानूनों को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियात्मक प्रक्रिया प्रभावी हों, उन्हें प्रभावी माना जा सकता है।[2]

भारतीय न्याय संहिता, 2023

ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को हाल ही में भारतीय न्याय संहिता, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे 25 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

भारतीय न्याय संहिता में आपराधिक गतिविधि की बदलती प्रकृति के साथ-साथ जाँच और कानूनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। नए कानून में मूल अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया गया है, जिसमें पीड़ित पर केंद्रित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है। नए कानून के कुछ लक्ष्य हैं— पुलिस की जवाबदेही को प्रोत्साहन देना, जन अधिकारों का संरक्षण करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, जैसे– ई-एफ.आई.आर. अपनाना और तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग करना आदि।

भारतीय न्याय संहिता में व्यक्तिगत अधिकारों को कायम रखा जाता है समावेशिता को बढ़ावा मिलता है, तथा अधिक न्यायपूर्ण एवं समान समाज की नींव रखने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है।

भारतीय न्याय संहिता में आई.पी.सी. की संगत धाराओं को बनाए रखते हुए अपराधों की सूची में कुछ अतिरिक्त अपराध जोड़े गए हैं। इसमें अनेक जघन्य अपराधों के लिए दण्ड बढ़ाया भी गया है और उन अपराधों को हटा दिया गया है, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था। इसके अलावा विधि निर्माताओं ने भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों की सूची के लिए एक नया कानून बनाया है, साथ ही दण्ड के उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा है। भारतीय न्याय संहिता में अन्य बातों के अलावा आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, वित्तीय घोटाले, पोंजी स्कीम, विपणन में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को 'संगठित अपराध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में इसी तरह के संगठित अपराधों के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

औचित्य

नए आपराधिक कानूनों में प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक विज्ञान के संयोजन पर बल देते हुए भारतीय कानूनी प्रणाली को दुनियाभर की कानूनी प्रणालियों में सबसे आगे लाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में बनाए गए आपराधिक कानूनों में आपराधिक न्याय संगठनों को जिम्मेदार बनाने, खुलेपन और

[2] *https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf*

निष्पक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाएँ बनाई गई हैं। निर्वाचन संबंधी अपराध, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध और आधिकारिक दस्तावेजों और मुद्राओं के साथ छेड़-छाड़ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान दिया गया है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

- आई.पी.सी. के तहत आने वाली 511 धाराओं को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल 358 धाराओं में व्यवस्थित किया गया है।
- जहाँ आई.पी.सी. में एक ही अपराध के लिए कई प्रावधान थे, वहाँ भारतीय न्याय संहिता, 2023 में उन्हें एक ही जगह पर समेकित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए— भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 में आई.पी.सी. की धारा 410 से 414 के तहत चोरी की गई संपत्ति के लिए प्रावधानों को व्यवस्थित किया गया है।
- इसने इस संहिता में प्रयुक्त भाषा को सरल बना दिया है तथा औपनिवेशिक भाषा और संदर्भों को हटा दिया है।
- जेंडर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है— सर्वनाम 'वह' और इसके व्युत्पन्न किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं, चाहे वह पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर हो। ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2 (के) के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।
- बालक की परिभाषा इस प्रकार की गई है— इसका तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है।
- मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास (कठोर, साधारण), संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के साथ दण्ड के हिस्से के रूप में (धारा 4 के अंतर्गत) पहली बार 'सामुदायिक सेवा' को शामिल किया गया है। साथ ही कारावास की अवधि और जुर्माने में भी वृद्धि की गई है।
- सामुदायिक सेवा उन स्थितियों में दी जा सकती है, जहाँ— लोक सेवक अवैध रूप से किसी व्यापार में संलग्न हो, जो कोई न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल हो, जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से विवश करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करता हो, चोरी के मामलों में, जहाँ संपत्ति का मूल्य 5000 रुपये से कम हो, नशे के बाद सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि आदि।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 के अनुसार धोखे से या शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। इसके लिए जुर्माना और अधिकतम दस साल की साधारण या कठोर कारावास की सजा होगी।
- बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आदि जैसे यौन अपराधों के लिए अधिक कठोर कार्रवाई के

क्या आप जानते हैं?
इससे पहले, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को आई.पी.सी. में अलग-अलग स्थानों पर रखा जाता था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत इसे अध्याय V में समेकित कर दिया गया है।

क्या आप जानते हैं?
भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 76 और 77 के अंतर्गत अपराधियों के लिए जेंडर के प्रति भेद समाप्ति तथा धारा 141 के अंतर्गत पीड़ितों के लिए जेंडर के प्रति भेद समाप्ति को प्रारंभ किया गया है।

साथ-साथ अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के लिए एक समेकित अध्याय दिया गया है। (धारा 63–78)

क्या आप जानते हैं?
मानव तस्करी के उद्देश्य से किए जाने वाले शोषण को इंगित करने के लिए 'भिक्षावृत्ति' शब्द जोड़ा गया है।

- बच्चों के प्रति अपराध, जिनमें परित्याग, अपहरण, वेश्यावृत्ति के लिए खरीद-फरोख्त या केवल खरीद-फरोख्त आदि जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं, धारा 91–97 के अंतर्गत निपटाए जाते हैं।
- चल संपत्ति में अब पेटेंट, कॉपीराइट आदि जैसी अमूर्त संपत्तियाँ भी शामिल होंगी।
- आर्थिक अपराधों में जालसाजी, जाली नोट और सरकारी स्टाम्प, आपराधिक विश्वासघात, लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की वित्तीय योजनाएँ, हवाला लेन-देन आदि, जैसे अपराध शामिल होंगे।
- असंयत भीड़ द्वारा हत्या— भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 101 (2) में प्रावधान है कि जब पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, जेंडर, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या कम से कम सात वर्ष की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय XIV में जनहित के प्रति अपराधों के लिए दण्ड का उल्लेख और सूची दी गई है, जिसमें बकाया राशि के लिए आदेश (डिक्री) प्राप्त करना, अपराधियों को शरण देना, तथा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना या बनाना शामिल है।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय XV में जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता के प्रति अपराधों को शामिल किया गया है। इन अपराधों के उदाहरणों में सार्वजनिक उपद्रव, बीमारी फैलाने वाले लापरवाह या दुर्भावनापूर्ण कार्य, भोजन, पेय या नशीले पदार्थों में मिलावट, लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि शामिल हैं।

App to help roll out new criminal laws in capital

Hectic Meetings On With 15,000 Personnel Already Trained

A NEW ORDER TAKES SHAPE

Source: Times of India, 13.06.2024

कुछ अपराध और उनके लिए दण्ड तालिका

क्र. सं.	अपराध	दण्ड	भारतीय न्याय संहिता
1.	बलात्कार	कम से कम 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास (आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।) और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार तथा बार-बार अपराध करने वालों के लिए मृत्युदण्ड का प्रावधान है।	धारा 65–73 के तहत
2.	किसी महिला के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाना	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।	धारा 69 के तहत
3.	द्विविवाह	7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।	धारा 81 के तहत
4.	भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। भारत में अपराधों का भारत के बाहर दुष्प्रेरण।	जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है। यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।	धारा 47 के तहत धारा 48 के तहत धारा 49 के तहत
5.	बलवा करना	जो कोई भी व्यक्ति घातक हथियार या किसी ऐसी चीज से लैस होकर दंगा करने का दोषी पाया जाता है, जिसका उपयोग अपराध के हथियार के रूप में करने से मृत्यु होने की संभावना हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।	धारा 189 के तहत

क्र. सं.	अपराध	दण्ड	भारतीय न्याय संहिता
6.	आतंकवाद का कृत्य	पैरोल के लाभ के बिना मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना।	धारा 113 के तहत
7.	12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता-पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा त्याग दिया जाना	7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।	धारा 91 के तहत
8.	बच्चों के प्रति अपराध	भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 बच्चों के शोषण पर रोक लगाती है और बच्चों को अवैध गतिविधि में भर्ती करने, सम्मिलित करने या काम पर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्डित करती है। इसके लिए कम से कम 3 साल का कारावास और 10 साल तक का कारावास तथा दण्ड स्वरूप जुर्माना लगाया जा सकता है। कारावास 10 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। कारावास 14 वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना हो सकता है।	धारा 95 के तहत धारा 96–99 धारा 96 धारा 97 धारा 98 धारा 99
9.	भारत सरकार के साथ शांति स्थापित करने वाले किसी विदेशी सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना	आजीवन कारावास का दण्ड, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।	धारा 151 के तहत
10.	छीनना	किसी भी प्रकार का कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माना भी देना होगा।	धारा 302 के तहत

क्र. सं.	अपराध	दण्ड	भारतीय न्याय संहिता
11.	निजी प्रतिरक्षा का अधिकार	भारतीय न्याय संहिता, 2023 विभिन्न परिस्थितियों में निजी बचाव का अधिकार प्रदान करता है।	धारा 34–44 के तहत
12.	तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाना	कारावास जो दस वर्ष तक का हो सकता है तथा जुर्माना भी हो सकता है।	धारा 106 के तहत
13.	संगठित अपराध	संगठित अपराध किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर निरंतर की जाने वाली कोई भी अवैध गतिविधि है, जिसमें अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, संविदा पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी शामिल है। संगठित अपराध के लिए दिया जाने वाला अधिकतम दण्ड मृत्युदण्ड है।	धारा 111 के तहत

प्रश्नोत्तरी

भारतीय न्याय संहिता, 2023 का उद्देश्य क्या है?

(क) शैक्षिक स्तर में सुधार करना
(ख) आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देना
(ग) भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को संशोधित और अद्यतन करना
(घ) बुनियादी संरचना का विकास करना

(उत्तर– ग)

2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कौन-सी धारा आतंकवादी कृत्य के अपराध से संबंधित है?

(क) धारा 23
(ख) धारा 113
(ग) धारा 61
(घ) धारा 69

(उत्तर– ख)

3. भारत में भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.), 1973 के स्थान पर जगह कौन-सा नया कानून लाया गया?

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
(ख) भारतीय न्याय संहिता, 2023
(ग) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
(घ) भारतीय नागरिक अधिनियम, 2023

(उत्तर– ख)

4. 'व्यक्ति का अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार' भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा के अंतर्गत आता है?

(क) धारा 37
(ख) धारा 35
(ग) धारा 49
(घ) धारा 69

(उत्तर– क)

5. भारत में आपराधिक कानून कब लागू हुआ धा?

(क) 1 अक्तूबर 2024
(ख) 1 जुलाई 2024
(ग) 5 सितंबर 2024
(घ) 8 नवंबर 2024

(उत्तर– ख)

मामले का अध्ययन

आप भारतीय न्याय संहिता में न्याय के लिए सुधारात्मक, पुनर्वासात्मक और समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण जानना चाहेंगे—

सामुदायिक सेवा का लक्ष्य पुनर्स्थापनात्मक न्याय और पुनर्वास के वैश्विक रुझानों के अनुरूप दंडात्मक उपायों को प्रतिस्थापित करना है। सामुदायिक सेवा लघु अपराधों पर लक्षित है, जैसे–

- सार्वजनिक मद्यपान (धारा 355 भारतीय न्याय संहिता)
- 5000 रुपये से कम की चोरी (धारा 303 भारतीय न्याय संहिता)
- वैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास (धारा 226 भारतीय न्याय संहिता)
- मानहानि (धारा 356 भारतीय न्याय संहिता)
- अवैध व्यापार में लोक सेवकों की भागीदारी। (धारा 202 भारतीय न्याय संहिता)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के तहत एक उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति।

विचार और चिंतन करें–

1. सामुदायिक सेवा क्या है? आपके विचार में इसका अभियुक्त की मानसिकता पर परिवर्तनकारी प्रभाव कैसे पड़ेगा?
2. सामुदायिक सेवा पर अपनी कक्षा में एक चर्चा आयोजित करें। यह अभियुक्तों के पुनरुद्धार और पुनर्वास में कैसे मदद करेगी?
3. सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

गतिविधियाँ

(क) क्या सभी समुदायों (यहाँ तक कि सदस्यों की कम संख्या के साथ भी) को संविधान में निहित समान अधिकार दिए जाएँगे?

(ख) क्या अन्य जेंडर के अधिकारों को मान्यता देने की देश की जेंडर न्याय प्रणाली में कोई भूमिका है?

विचार और चिंतन करें

(क) अपनी कक्षा में नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता, 2023 के बारे में चर्चा का आयोजन करें और चर्चा करें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ख) अपने सहपाठियों के साथ मिलकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत पीड़ितों को दिए गए अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए पोस्टर और संदेश तैयार करें।

(ग) समूह गतिविधि में जेंडर की समानता और न्याय पर कुछ जिंगल लिखें और इन्हें प्रसारित करें।

(घ) अपने स्कूलों में कानूनी सहायता के एक मॉक शिविर का आयोजन करें और अपने साथियों को विभिन्न अपराधों और उनके निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित करें।

(ङ) नीचे दिए गए समाचार पत्र की कटिंग की तरह, नए आपराधिक कानूनों के किसी भी पक्ष पर एक समाचार बनाएँ।

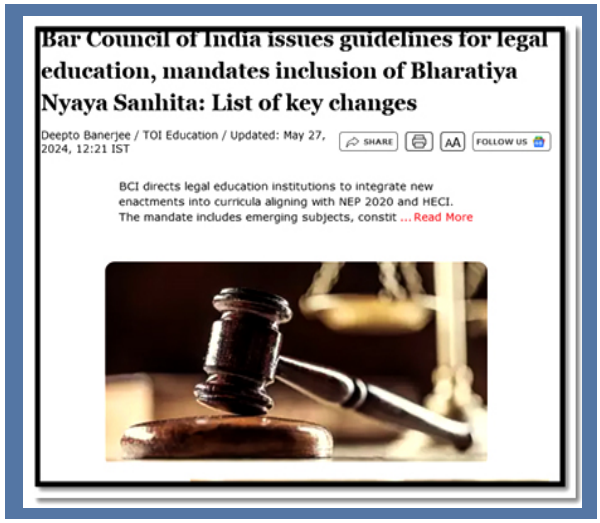

Bar Council of India issues guidelines for legal education, mandates inclusion of Bharatiya Nyaya Sanhita: List of key changes

Deepto Banerjee / TOI Education / Updated: May 27, 2024, 12:21 IST

SHARE AA FOLLOW US

BCI directs legal education institutions to integrate new enactments into curricula aligning with NEP 2020 and HECI. The mandate includes emerging subjects, constit ... Read More

स्रोत— https://www.thehindu.com/news/national/bar-council-of-delhi-office-bearers-cite-issues-urge-home-minister-to-not-implement-the-new-criminal-laws/article68010251.ece

आप और अधिक जानना चाहेंगे!

नया कानून लागू करने का औचित्य

नए कानून बनाने के पीछे निहित उद्देश्य कानूनी प्रणाली में विभिन्न कमियों और चुनौतियों का समाधान करना है—

- **कानूनी प्रणाली की जटिलता**— मौजूदा कानून और प्रक्रियाएँ जटिल थीं, जिससे आम नागरिकों के लिए उनका पालन करना कठिन हो गया था।
- **अदालतों में लंबित मामलों की संख्या**— अदालतों में लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है, जिसके कारण न्याय मिलने में देरी हो रही है।
- **दोषसिद्धि दर का कम होना**— वर्तमान कानूनी संरचना के परिणामस्वरूप सफल दोषसिद्धि की दर कम है, जिससे कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।
- **अपराधों के लिए अपर्याप्त जुर्माना**— कुछ अपराधों के लिए लगाया गया जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुरूप है, जिसके कारण दण्ड संरचना की समीक्षा करनी आवश्यक हो जाती है।

- **जेलों में अत्यधिक भीड़**— जेलों में विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या के कारण जेलों में अत्यधिक भीड़ होती है, और इसी से कार्यक्षम न्यायिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता का पता चलता है।
- **आधुनिक प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से अपनाना**— आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने में कानूनी प्रणाली धीमी रही है, जिससे दक्षता और पहुँच में बाधा उत्पन्न हुई है।
- **जाँच में विलंब**— जाँच में अक्सर विलंब होता है, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होती है और कानूनी कार्रवाई लंबी खिंच जाती है।
- **जाँच और सुनवाई प्रक्रिया की जटिलता**— जाँच और सुनवाई प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण दक्षता की कमी और लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है।
- **न्याय संबंधी साक्ष्य का अपर्याप्त उपयोग**— कानूनी कार्यवाही में फोरेंसिक साक्ष्य का उपयोग इष्टतम नहीं है, जिससे मामले के समाधान की सटीकता प्रभावित होती है।
- **वंचित समुदायों के लिए न्याय में देरी**— वंचित समुदायों को अक्सर न्याय तक पहुँचने में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी परिणामों में देरी और असमानताएँ होती हैं।

कानूनी प्रणाली का उद्देश्य नए कानूनों के माध्यम से इन चुनौतियों के समाधान द्वारा सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने में पहुँच, दक्षता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है।

चित्र 1— नए कानून बनाने का औचित्य

हम और कानून

कुछ विचार

पाठकों को कानूनों की बेहतर जानकारी होगी, जिससे वे अपने अधिकारों और उनके संरक्षण के बारे में अधिक जागरूक होंगे। इससे पाठकों को कानून और न्याय प्रणाली के उचित ज्ञान के साथ इस देश के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया जाता है। इससे पाठकों के बीच कानूनी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें वे न केवल कानूनों के बारे में जागरूक होंगे, बल्कि ऐसे कानूनों और नीतियों की जानकारी में भी भाग लेंगे।

इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को सभी जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने तथा जेंडर संबंधी न्याय और समानता के लिए काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

माता-पिता के लिए संदेश

इक्कीसवीं सदी में बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी, वित्तीय संसाधनों और अधिक गतिशीलता की उपलब्धता होने से बच्चों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभावों की एक विस्तृत शृंखला के संपर्क में हैं। खास तौर पर बच्चों के बीच साइबरबुलिंग, डीपफेक, धोखाधड़ी, ब्लैकमेल, नशीली दवाओं के उपयोग और तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। शिक्षकों और अभिभावकों का अब यह दायित्व है

कि वे बच्चों को उनके अधिकारों और आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के बारे में शिक्षित करें। नए कानून अधिक पीड़ित केंद्रित होने के लिए बनाए गए हैं, जिससे अधिक सुरक्षा और त्वरित न्याय मिलता है।

स्त्रोत— https://blog.ipleaders.in/historical-development-criminal-justice-system/

संदर्भ

Law Commission Reports विधि आयोग की रिपोर्ट

Navtej Singh Johar v. Union of India judgment नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ

Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act 45 of 2023) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 45)

https://bprd.nic.in/uploads/pdf/Women,%20Children%20and%20the%20New%20Criminal%20Laws%20(1).pdf

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf

https://nishithdesai.com/NewsDetails/13888

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2024/may/doc2024522337701.pdf

https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html

https://www.mha.gov.in/sites/default/files/criminal_justice_system.pdf

https://www.pwc.in/assets/pdfs/consulting/forensic-services/revamping-indias-criminal-justice-system-bns-bnss-and-bsb.pdf

https://www.scconline.com/blog/post/2023/12/31/key-highlights-of-the-three-new-criminal-laws-introduced-in-2023/

UN345

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING